न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 07/2021 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2021/19

उनवान

दुर्गा पुत्र बिहारीलाल जाति जाटव निवासी बयाना गेट वैर तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र महीलाल जाति जाटव } नि0 ग्राम नगला तुला तह0 रूपवास जिला भरतपुर।
2. यादराम पुत्र महीलाल जाति जाटव }

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 07.07.2020 प्रकरण संख्या 106/2013 उनवान दुर्गा बनाम लक्ष्मण, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर।

अभिभाषकगण :–

1. श्री सुधांशु शर्मा अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. श्री राजेश कुमार पोहिया अभिभाषक रैस्पो0 उपस्थित ।

दिनांक :–13.01.2022

निर्णय

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, वैर के निर्णय दिनांक 07.07.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88–89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम हैदनपट्टी तहसील वैर में स्थित है। जिसका वादी/अपीलाण्ट खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। विवादित आराजी वादी/अपीलाण्ट को उनके स्वर्गीय पिता बिहारीलाल पुत्र पृथ्वी जाटव निवासी कस्बा वैर को उनके जीवनकाल में जरिये रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 26.07.1961 को उक्त आराजी के खातेदार सोहनपाल पुत्र देवीया जाति जाटव निवासी कस्बा वैर से प्राप्त हुआ है। परन्तु सहवन से वादी/अपीलाण्ट के पिता ने उक्त वसीयत का दाखिला अपने नाम नहीं करवाया। प्रतिवादीगण/रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है। परन्तु वह ताकत के बल पर उक्त विवादित आराजीयात को वादी/अपीलाण्ट से हडपना चाहते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अपीलाण्ट विवादित आराजी पर पूर्ण रूप से काबिज व मालिक है तथा काश्त करता चला आ रहा है। विवादित आराजी का पूर्व खातेदार सोनपाल पुत्र देविया जाति जाटव निवासी कस्बा वैर था जिससे अपीलाण्ट के पिता बिहारीलाल को उक्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 26.07.1961 को कराया और पिता बिहारीलाल को प्राप्त हुयी और सोनपाल व बिहारीलाल की मृत्यु उपरान्त अब उक्त आराजी अपीलाण्ट के कब्जे काश्त में है जिसके आधार पर अपीलाण्ट उक्त विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का पूर्ण अधिकारी होता है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो की ओर गौर ना करते हुये। अपीलाधीन आदेश पारित किया है। दौराने दावा वादी/अपीलाण्ट के पास उक्त वसीयत प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध नहीं थी। परन्तु वर्तमान में वसीयत को अपील में प्रस्तुत किया जा चुका है। उक्त वसीयत को आज दिनांक तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है। अतः वसीयत आज भी प्रभावी है। मियाद के संबंध में उनका निवेदन है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.07.2020 को पारित हुआ है उस वक्त कोविड–19 के कारण लॉकडाउन लगा हुआ था। जैसे ही बीमारी का प्रकोप कम हुआ एवं अपीलाण्ट ने अपने अभिभाषक से सम्पर्क किया। तब अपीलाधीन आदेश की जानकारी हो पायी। अतः जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुये, दावा वादी अपीलाण्ट डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधिअनुरूप है। सोनपाल का सन् 1985 में स्वर्गवास होना स्वयं अपीलाण्ट स्वीकारते हैं। सन् 1985 से अपीलाण्ट व उनके पिता द्वारा विवादित आराजी के खातेदारी अधिकारो के लिये कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी। वसीयत फर्जी है। इसके अलावा वसीयत की 27 लाईन में कोई पुत्र अथवा पुत्री नहीं होना अंकित किया है। जबकि पुत्री है। अपील भी मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुयी देरी का कोई समुचित कारण भी नहीं बताया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचार किया जाना अपेक्षित है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.07.2020 के विरूद्ध वर्तमान अपील दिनांक 21.09.2020 को लगभग 14 दिवस की देरी के साथ प्रस्तुत की गयी है। अपीलांट उक्त देरी का कारण लॉक डाउन होना कथन करते हैं। प्रथम दृष्टया अपीलाण्ट के कथन सारपूर्ण नजर आते हैं। अतः मियाद के बिन्दु को क्षमा करते हुये, अपील अपीलाण्ट सुनवाई हेतु ग्रहण की गयी।

6. गुणावगुण पर हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलाण्ट के द्वारा मूल वसीयत पेश नहीं करने के कारण दावा वादीगण/खारिज किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील के साथ मूल वसीयत पेश की गयी है। वसीयत के अवलोकन से जाहिर है कि सोहनपाल ने अपीलाण्ट के पिता बिहारीलाल को खसरा नम्बर 1350 रकवा 04

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

बीघा 01 विस्वा वाके ग्राम हैदनपट्टी व ग्राम श्योसिंहपुरा का खसरा नम्बर 15 मिन रकवा 6 बीघा 13 विस्वा की वसीयत की गयी है। वादी/अपीलाण्ट ने अपने दावे में खसरा नम्बर 1350 के साथ–साथ खसरा नम्बर 1394/1 रकवा 01 बीघा 02 विस्वा पर भी खातेदारी चाही गयी है। जबकि खसरा नम्बर 1394 उक्त वसीयत में कही भी अंकित नहीं है। इसके अलावा अपील के साथ प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट/चैक लिस्ट दिनांक 05.11.2020 बाबत् गैर खातेदारी से खातेदारी में वादी/अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कब्जा तो सिद्ध होता है। परन्तु उक्त चैक लिस्ट अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 227 व 281, वर्तमान जमाबन्दी में लक्ष्मण, यादराम पिसरान महीलाल, द्रोपा, सुमन पुत्रीयान महीलाल के नाम दर्ज होना जाहिर होता है। अपीलाण्ट ने अपने दावे में यह नहीं बताया है कि उक्त व्यक्तियों के इन्द्राज जमाबन्दी में किस प्रकार आये एवं उक्त व्यक्तियों का मृतक सोहनपाल से क्या संबंध है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट ने महीलाल की पुत्रीयों को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है एवं ना ही विवादित आराजी का मिलान क्षेत्रफल ही प्रस्तुत किया है। जिससे विवादित आराजी के नये नम्बर ज्ञात हो सकें। दावा भी पुराने नम्बर पर ही किया गया है एवं जमाबन्दी भी पुरानी ही प्रस्तुत की गयी है। इस प्रकार वादी/अपीलाण्ट स्वच्छ हाथो से नहीं आये हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2020 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 13.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13.01.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर